

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2017, लखनऊ, दिनांक जून : 23 ,2017,

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह- अगस्त 2017 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र0सं	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
01	2.	3	4
1-	पीठ-1 आगरा पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा पीठ-1 व 2 आगरा	01.08.2017 से 04.08.2017 21.08.2017 से 25.08.2017
2-	पीठ-1 इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	01.08.2017 से 04.08.2017
3-	पीठ-बरेली	पीठ- बरेली	01.08.2017 से 04.08.2017
4-	पीठ-1 गाजियाबाद पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	08.08.2017 से 11.08.2017 21.08.2017 से 25.08.2017
5-	पीठ- गोरखपुर	पीठ-गोरखपुर	01.08.2017 से 04.08.2017
6-	पीठ-झांसी	पीठ- झांसी	08.08.2017 से 11.08.2017
7-	पीठ-1 कानपुर पीठ-1 कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	08.08.2017 से 11.08.2017 21.08.2017 से 25.08.2017
8-	पीठ-1 लखनऊ पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	08.08.2017 से 11.08.2017 21.08.2017 से 25.08.2017
09	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	01.08.2017 से 04.08.2017
10-	पीठ-मुरादाबाद	पीठ- मुरादाबाद	14.08.2017 से 18.08.2017
11-	पीठ-मुजफ्फरनगर	पीठ-मुजफ्फरनगर	21.08.2017 से 25.08.2017
12-	पीठ-1 नोएडा पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा पीठ-1 व 2 नोएडा	01.08.2017 से 04.08.2017 14.08.2017 से 18.08.2017
13-	पीठ-1 वाराणसी पीठ-3 वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी	14.08.2017 से 18.08.2017 28.08.2017 से 31.08.2017

उपरोक्तानुसार गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण के नाम बाद में यथा-समय घोषित किये जायेंगे। समस्त पीठ कार्यालयों को तदनुसार सूचित किया जाये।

Sd/- 23.06.17

(उमेश चन्द्र त्रिपाठी)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष,

वाणिज्यकर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश को तीन प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि युगल पीठ गठन सम्बन्धी आदेश की एक-एक प्रति राज्यप्रतिनिधि तथा स्थानीय अधिवक्ता बार को हस्तगत करायी जाये।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसिएशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर से अवगत करायें।
4. श्री शिव कुमार अरोरा, अध्यक्ष, उ0प्र0टैक्स बार एसोसिएशन, एस.एस.कालेजरोड, जमुना विहार, खतौली, मुजफ्फरनगर-251201 व श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, महासचिव, उ0प्र0 टैक्स बार एसोसिएशन, एस-5/45, अर्दली बाजार, वाराणसी-221002 को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. श्री आर0एस0 गोयल, अधिवक्ता टैक्सों एंज वेलफेयर फोरम वेस्टर्न उ0प्र0, 52 नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरगंज, घंटाघर रोड, मेरठ सिटी को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण, जो टैक्स बार के सदस्य हों, को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित पीठ के प्रधान सहायक/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि नियत युगल पीठ में पुराने वादों को पर्याप्त मात्रा में नियत करें।
7. वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
वाणिज्य कर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आज्ञा से  
प्रभारी निबन्धक  
वाणिज्यकर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।